भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 589
(07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के लक्ष्य

589. श्री रविचंद्र वद्दीराजूः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत कितने घरों का निर्माण करने का लक्ष्य है;

(ख) क्या देश में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त योजना के अंतर्गत वर्तमान में प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (ग): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य की पूर्ति के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय मार्च, 2024 तक आधारभूत सुविधाओं से संपन्न 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के समग्र लक्ष्य के साथ पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने हेतु 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-जी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित 2.95 करोड़ मकानों के कुल अनिवार्य लक्ष्य में से, 2.94 करोड़ से अधिक मकानों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों को पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं और दिनांक 01.02.2024 की स्थिति के अनुसार 2.55 करोड़ से अधिक मकानों का निर्माण पहले ही किया जा चुका हैं। दिनांक 01.02.2024 की

स्थिति के अनुसार पीएमएवाई-जी के तहत आवंटित लक्ष्यों, स्वीकृत मकानों और निर्मित मकानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ): पीएमएवाई-जी के तहत , लाभार्थियों को मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र सहित) , दुर्गम क्षेत्रों और एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) जिलों में 1.30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) अथवा वित्त पोषण के किसी अन्य समर्पित स्त्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000/- रु की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा , मनरेगा के साथ अभिसरण में अपने घर के निर्माण के लिए पीएमएवाई-जी लाभार्थी को वर्तमान दरों पर 90/95 व्यक्ति दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की सहायता प्रदान करना अनिवार्य है। पीएमएवाई-जी परिवारों को अन्य प्रासंगिक योजनाओं के साथ अभिसरण में पानी, एलपीजी और बिजली कनेक्शन भी प्रदान किए जाते हैं।

अनुबंध

पीएमएवाई-जी के लक्ष्यों के संबंध में **राज्य सभा में दिनांक 07.02.2024 को उत्तर दिए जाने के नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 589 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित विवरण**

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत दिनांक 01.02.2024 तक आवंटित लक्ष्यों, स्वीकृत मकानों और निर्मित मकानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित लक्ष्य	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्वीकृत मकान	निर्मित मकान
1	अरुणाचल प्रदेश	36,210	36,112	28,420
2	असम	20,41,807	20,12,956	17,73,299
3	बिहार	37,01,576	37,01,490	36,45,255
4	छत्तीसगढ़	11,76,142	11,76,142	9,63,936
5	गोवा	257	257	226
6	गुजरात	6,03,922	6,03,714	5,11,547
7	हरियाणा	29,404	29,404	28,278
8	हिमाचल प्रदेश	25,471	25,471	15,021
9	जम्मू और कश्मीर	3,37,129	3,36,979	2,03,640
10	झारखंड	15,92,171	15,92,168	15,58,228
11	केरल	35,167	35,166	32,830
12	मध्य प्रदेश	38,00,415	38,00,377	36,39,617
13	महाराष्ट्र	13,77,817	13,77,077	12,12,732
14	मणिपुर	1,01,558	1,01,550	30,486
15	मेघालय	1,88,297	1,88,296	46,121
16	मिजोरम	29,967	29,967	9,267
17	नागालैंड	48,830	48,830	9,518
18	ओडिशा	27,26,133	27,26,007	20,23,355
19	पंजाब	39,729	39,727	35,986
20	राजस्थान	17,17,996	17,17,600	16,82,177
21	सिक्किम	1,400	1,399	1,275

22	तमिलनाडु	7,51,421	7,50,608	5,94,787
23	त्रिपुरा	3,77,057	3,77,030	3,27,647
24	उत्तर प्रदेश	36,15,041	36,14,952	34,87,645
25	उत्तराखंड	69,303	69,283	48,179
26	पश्चिम बंगाल	45,69,532	45,69,497	34,10,965
27	अण्डमान और निकोबार	3,424	3,424	1,225
28	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	11,436	11,436	3,823
29	लक्षद्वीप	45	53	45
30	पुदुचेरी	0	0	0
31	आंध्र प्रदेश	2,46,430	2,46,430	67,479
32	कर्नाटक	2,41,908	2,41,866	1,21,940
33	तेलंगाना	0	0	0
34	लद्दाख	3,005	3,004	2,863
	कुल	**2,95,00,000**	**2,94,68,272**	**2,55,17,812**

**तेलंगाना और पुदुचेरी पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं।*
